

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **आसलखेड़ी**

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

दुर्गादेवी

उनवान

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत **नाम उरुस्ती U/S 88 R.T.A.**

मुकदमा नम्बर :- **133/2021**

निर्णय दिनांक :- **01-12-2021**

वादी की ओर से **स्वयं** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01-12-21** को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **दावा वादिनी स्वीकार**

किया जाकर खाता सं० ७६ रोही ग्राम आसलखेड़ी में अंकित खातेदार नानू पुत्री श्यामगिर के स्थान पर दुर्गा देवी पुत्री श्यामगिर अंकित करके का आदेश दिया जाता है। अविष्य में उक्त नाम उरुस्ती के सम्बन्ध में कोई विवाद होना तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **01-12-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



विभाष्य
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

| वादी | प्रतिवादी |
|----------------------------------|-----------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | रूपया |
| 4.रूपये पर प्लीडर की फीस | रूपया |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | रूपया |
| 6. कमिश्नर की फीस | रूपया |
| 7. आदेशिका की तामिल | रूपया |
| जोड़ | जोड़ |



ना-द. **1388**
1-12-21